उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या- 3/2017 /जी-2- 89/दस-2017-59/81

लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2017

<u>विज्ञप्ति</u>

विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्शयोरेन्श रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्शयोरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा **वित्तीय वर्ष 2016-2017** में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर **दिनांक 01-01-2017 से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक 08.00 (आठ) प्रतिशत** मान्य होगी।

आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या- 3/2017 /जी-2- 89(1)/दस-2017-59/81, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

<u>संख्या- 3/2017 /जी-2- 89(2)/दस-2017-59/81, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in